

## डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर(म0प्र0)



क्रमांक: डीसीडीसी / 115

विश्वविद्यालय कार्यालय,  
सागर, दिनांक 01.09.2011

—: प्रमाण पत्र :-

8

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता-निरंतरता सत्र 2011-12 में भी जारी है।

1. बी.ए.—आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. बी.काम.—सभी अनिवार्य विषय / कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित
3. बी.एससी.—आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नालाजी एवं नाइकोबायालाजी,,
4. बी.सी.ए.
5. पी.जी.डी.सी.ए.
6. एम.सी.एम.
7. बी.बी.ए. (ऑनर्स)
8. एम.ए.पूर्वाह्न—हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र
9. एम.काम.पूर्वाह्न
10. एम.एससी.पूर्वाह्न— बायोटेक्नालॉजी एवं गणित

*Naw*

कुलसचिव  
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,  
सागर (म0प्र0)

प्रति,

प्राचार्य,  
ज्ञानवीर महाविद्यालय,  
सागर (म0प्र0)

डॉक्टर हरीशंहर गौर विश्वविद्यालय, सागर

क्रमांक / समिति / अस्था.सं. / 2005/6247

विश्वविद्यालय कार्यालय

सागर, दिनांक 14 फरवरी, 2005

प्रति,

✓ प्राचार्य,

ज्ञानवीर महाविद्यालय,  
सागर ।

विषय : निरीक्षण समिति का गठन ।

संदर्भ :

महोदय,

अनुरोध करने में सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित विषयों के लिए अस्थायी स्तर पर प्रदान करने हेतु निम्नांकित निरीक्षण समिति का गठन किया जाता है :

प्रदान

विषय

सत्र

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष

1- बायोटेक्नाजोली

2005-06

2- औद्योगिक माइक्रोबायोलॉजी  
अतिरिक्त विषय

अतिरिक्त निरीक्षण समिति

1- प्रो० पी.सी. जैन, विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी

2- प्रो० ओ.पी. गुप्ता, विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नाजोली

3- अधिष्ठाता, जीव विज्ञान संकाय --- संयोजक

अपने महाविद्यालय के निरीक्षण के समय वे अपने अभिलेख प्रस्तुत कराने से निरीक्षण से संबंधित हैं।  
महाविद्यालय के निरीक्षण के समय सदस्यों को यात्रा भत्ता अथवा वाहन व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा  
अपने निरीक्षण समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को ₹50000 तक  
अनुदान के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

भवदीय

  
कुलसचिव

निरीक्षण समिति के माध्यम से स्वरसंगण ।

सुझावों के लिए / कुलसचिव को निजी सहायक के माध्यम से



  
कुलसचिव  
डॉ० हरीशंहर गौर विश्वविद्यालय, सागर

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र०शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक  
प्रति,

/आउशि/सम्ब/शा-13/05

भोपाल, दिनांक

कुल सचिव,

..... विश्वविद्यालय,  
**डा० हररतिह नार** ..... (म०प्र०)  
**तामर**

विषय:- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(बारड) तथा 26(एक) (पांच) के अंतर्गत मंजूरी बावत ।

महोदय,

**हायकोर समिति, तामर** ..... (संस्था का नाम ) को  
अशासकीय **हायकोर** ..... महाविद्यालय **भोपालमंड, तामर** में  
निम्नलिखित पाठ्यक्रम/विषय की कक्षाएँ सत्र 2005-06 से प्रारंभ करने हेतु मंजूरी दी जाती है :-

1. बी.एड.सी. [प्रथम वर्ष] 1. बायोटेक्नालॉजी, [अतिरिक्त विषय]
2. औद्योगिक बायोटेक्नालॉजी [अतिरिक्त विषय]

2/ अगर महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति दिनांक ..... तक नहीं  
की गई तो यह मंजूरी निरस्त करने बावत कार्यवाही की जावेगी :-

3/ अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

*gsl*  
(के०के०श्रीवास्तव)  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

